

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक : 03/प्रोन्नति-05-04/2014...../ रॉची, दिनांक:...../

—: आदेश :—

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-5207 दिनांक 14.08.2002 एवं संकल्प संख्या-2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत स्व. गजेन्द्र सिंह, जे 9124, कनीय अभियंता, रूपांकण प्रमंडल सं.-02, रॉची को संशोधित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना के अंतर्गत द्वितीय एम.ए.सी.पी. लाभ पी.बी.-III, वेतनमान 15600-39100, ग्रेड पे-5400, में 10.05.2013 से स्वीकृत किया जाता है।

2. उपर्युक्त स्वीकृत वित्तीय उन्नयन में अगर कोई त्रुटि पाई जाती है अथवा मंत्रिमंडल निगरानी या किसी अन्य स्रोत से निगरानी स्वच्छता प्रतिवेदन प्रतिकूल प्राप्त होता है, तो स्वीकृत लाभ का रद्द/संशोधित कर भुगतान की गई राशि की एकमुश्त वसुली कर ली जाएगी और इसके विरुद्ध किसी प्रकार का दावा सरकार या न्यायालय में विचारणीय नहीं होगा।

3. प्रस्ताव पर विभागीय स्क्रीनिंग समिति की घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त कर ली जाएगी।

4. आदेश पर अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची का अनुमोदन प्राप्त है।
ह. /—

(इग्नेस कुजूर)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :- रॉची, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. /—
(इग्नेस कुजूर)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :- रॉची, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. /—
(इग्नेस कुजूर)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :- रॉची, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, रॉची/ कार्यपालक अभियंता, रूपांकण प्रमंडल सं.-02, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. /—
(इग्नेस कुजूर)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :- 8604 रॉची, दिनांक :- 14-11-14

प्रतिलिपि :- बायोडाटा कोषांग/ वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(इग्नेस कुजूर)
सरकार के अवर सचिव।